

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231231
SG-DL-E-18112021-231231

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]	दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 17, 2021/कार्तिक 26, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 337]	DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 17, 2021/KARTIKA 26, 1943	[N. C. T. D. No. 254

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 नवम्बर, 2021

सं. 09/2021-राज्य कर

सं. फा. 03(113)/वित्त (व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/311.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 76/2018-राज्य कर, दिनांक 03 सितम्बर, 2019, जिसे सं0फा0 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-IV/399, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के सातवे परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो निम्न तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट किए गए हैं, जो प्ररूप जीएसटीआर-3ख विवरणी को नियत तारीख तक प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं, निम्न तालिका के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस को निम्न तालिका के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा के लिए अधित्यक्त किया जाता है, अर्थात् -

तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	सीमा जिसके लिये विलंब फीस अधित्यक्त किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	मार्च 2021 और अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले पंद्रह दिन तक
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	मार्च 2021 और अप्रैल 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	जनवरी – मार्च 2021	विवरणी प्रस्तुत करने के नियत तारीख से पहले तीस दिन तक।”।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 20वें दिन से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट— मूल अधिसूचना सं० 76/2018, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 को सं०फा० 03(36)/वित्त (राजस्व-I)/2019-20/डीएस-IV/399, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधित अधिसूचना सं० 57/2020 – राज्य कर, दिनांक 04 जनवरी, 2021, जिसे सं०फा० 03(72)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डीएस- IV/10, दिनांक 04 जनवरी, 2021 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, के भाग- IV में प्रकाशित किया गया था।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th November, 2021

No. 09/2021–State Tax

No. F.3(113)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/311.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 76/2018– State Tax, dated the 3rd Sept, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(36)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd Sept, 2019, namely:-

In the said notification, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the period as specified in column (4) of the Table given below, for the tax period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, namely:-

TABLE

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Period for which late fee waived
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	March, 2021 and April, 2021	Fifteen days from the due date of furnishing return

2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	March, 2021 and April, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	January-March, 2021	Thirty days from the due date of furnishing return.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April, 2021.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. I (Finance)

Note: The principal notification No. 76/2018-State Tax, dated 3rd Sept, 2019 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published Vide No. F.3(36)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3rd Sept, 2019 and was last amended vide notification number 57/2020 – State Tax, dated the 4th Jan, 2021, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(72)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/10, dated the 4th Jan, 2021.